

02/02/21

वकील जरिकेन उप. मूल पत्राधार
251(A) RT Act स्वीकार किया गया
है। उक्त पत्र सारहीन होने के कारण
स्वार्थ किया जाता है। पत्रावली दाखिल
दफ्तर ही।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)